

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-III/अलेसे-11/ 9822-55

दिनांक:- 07/06/2013

कार्यालय आदेश संख्या 97/2013-14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.वी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दि.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अरुण कुमार जैन	11.08.1962	11.03.1985	11.03.2012	
2.	नरेन्द्र कुमार जैन	01.07.1961	27.08.1984	27.08.2011	
3.	देवकुमार पुरोहित	01.10.1959	11.03.1985	11.03.2012	
4.	धर्मपाल शर्मा	06.10.1957	10.03.1986	10.03.2013	
5.	देवाराम	04.12.1960	21.08.1984	21.08.2011	
6.	गणेश राय चुध	25.12.1956	11.03.1985	11.03.2012	
7.	गजेन्द्र कुवार	05.07.1959	11.03.1985	11.03.2012	
8.	कृष्णचन्द मित्तल	02.01.1961	04.09.1984	04.09.2012	
9.	महेश कुमार अग्रवाल	14.09.1961	11.03.1985	11.03.2012	
10.	मुरलीमनोहर शर्मा	10.09.1956	11.03.1985	11.03.2012	
11.	प्रकाशचन्द दरडा	03.02.1956	10.03.1986	10.03.2013	
12.	प्रेमकुमार जैन	03.03.1955	11.03.1985	11.03.2013	
13.	पुरुषोत्तम	18.10.1960	11.03.1985	11.03.2012	
14.	रतनलाल शर्मा	10.04.1960	11.03.1985	11.03.2012	
15.	सूर्यकान्त शर्मा	01.08.1961	11.03.1985	11.03.2012	
16.	शुभकरण	10.01.1962	11.03.1985	11.03.2013	
17.	भूराराम सैनी	10.09.1960	11.03.1985	11.03.2013	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 3 से 17 पर अंकित लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीजित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है तथा वित्त विभाग के आदेश एफ.20 (1) एफ.डी. (मुप-2)/92 Pt (RSR-3/95) दिनांक 16.02.95 की अनुपालना की सुनिश्चितता की जावे।



निदेशक

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-III/अलेसे-11/ 9822-55

दिनांक:- 07/06/2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)